संख्या: 24/2017/75बीपी/35-1-2017

प्रेषक,

नीना शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक: **26** सितम्बर, 2017

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वेयरहाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना हेतु पीएलए में जमा धनराशि का आहरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2011-12 में शासनादेश सं. 720(1)/35-आ-1/2011 दिनांक 30 मई, 2011, सपठित शासनादेश सं. 904/35-आ-1/2012, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के माध्यम से वेयरहाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना की रू. 691.00 करोड की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 320.00 करोड की धनराशि अवमुक्त की गई और विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण व्यय कर लिया गया। वर्ष 2014-15 में शासनादेश सं. 9/2015/66 बीपी/35-1-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा उक्त परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 278.96 करोड अवमुक्त कर कार्यदायी संस्था मण्डी परिषद के पीएलए में जमा की गई है, जिसमें से रू. 14.4609 करोड की धनराशि अभी उपयोग करने हेतु अवशेष है। एतद द्वारा परियोजना के कार्यों हेतु पी.एल.ए. में रखी गई धनराशि में से अवशेष रू. 14.4609 करोड (रूपये चौदह करोड छियालिस लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि का आहरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं:-

1- प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रशासनिक विभाग कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर स्वयं संतुष्ट हो लेगें।

3- सक्षम स्तर से अनुमोदित एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कार्यों के वचनबद्ध व्यय एवं भूमि विवादों के निस्तारण उपरांत केवल आवश्यकतानुसार धनराशि वित्तीय नियमों का पालन करते हुए आहरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- सन्दर्भित अन्य शासनादेशों की शर्तें यथावत लागू रहेगीं।

5- मण्डी परिषद के पास उपलब्ध धनराशि रू. 19.00 करोड़ का पूर्ण उपयोग कर लिए जाने के पश्चात ही प्रसासनिक विभाग द्वारा अवशेष रू. 14.46 करोड़ की धनराशि पीएलए से आहरित की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-5-646/दस-2017, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(नीना शर्मा)
सचिव।

संख्या– 24/2017/75 बीपी(1)/35-1-2017 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
5-निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
6-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
7-जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9-मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।